न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय, सीवान

बसंतपुर थाना कांड सं. 128/2021

07.09.2021 बसंतपुर थाना कांड सं. 128/2021 अंतर्गत धारा 376,420,504/34 भा.द. वि. एवं 3(ii)(s) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम में अभियुक्तगण पारस ठाकुर, गीता देवी एवं दिनेश ठाकुर आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर इनके विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश राम एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम तथा सूचिका को स्टुडियों कोर्ट में सुना एवं अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका का मुख्य रूप से आरोप है कि इनके गॉव के विकास कुमार शादी करने का झॉसा देकर दो साल से इनके साथ यौन शोषण करता रहा और जब सूचिका शादी करने को कहती तो टालमटोल कर देता था। दिनांक 04.04.2021 को जब सूचिका विकास कुमार से शादी करने को बोली तो वह गाली देते हुए शादी करने से इन्कार कर दिया। सूचिका घर आकर सारी बात अपने मॉ से बतायी तो इनकी मॉ विकास कुमार के घर पूछताछ करने गयी तो विकास कुमार भाग गया तथा विकास के बाबा पारस ठाकुर एवं विकास की मॉ गीता देवी सूचिका एवं उसकी मॉ को जातिसूचक गाली देते हुए वहॉ से भगा दिये और बोले कि विकास कुमार सूचिका से शादी नहीं करेगा।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि जिस तरह की घटना बतायी गयी है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है न हीं इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक नं0 1 पारस ठाकुर आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार के दादा है। आवेदक नं0 2 गीता देवी आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार की माता है। आवेदक नं0 3 आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार का पिता है। इनलोगों अभिकथित घटना में कोई भूमिका नहीं है इनलोगों को जान बूझकर परेशान करने के लिए मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक अभियुक्तों पर धारा 376,420 भा.द.वि. का आरोप नहीं है। सहअभियुक्त विकास कुमार का जमानत माननीय उच्च न्यायालय पटना से स्वीकृत हुआ है और इन आवेदकगण पर सहअभियुक्त विकाश कुमार से कमोत्तर आरोप है। मामले की सूचिका सह पीड़िता द्वारा मामला संधि कर लिया गया है और पीड़िता राजी खुशी से अपने ससुराल और मायके में अपना जीवन यापन कर रही है। अब कोई विवाद नहीं रह गया है। पीड़िता सह सूचिका न्यायालय में उपस्थित है। लिखित संधि पत्र जमानत आवेदन के साथ दाखिल है। पीड़िता संधि का समर्थन करती है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया परन्तु कथन किया गया कि सूचिका सह पीड़िता मामला संधि कर ली है जमानत आवेदन का विरोध नहीं करती है। आगे कथन करते है कि इन आवेदक अभियुक्तगण पर धारा 376 भा. द.वि. का आरोप नहीं बनता है। मामले के मुख्य अभियुक्त विकाश कुमार को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जमानत की सुविधा प्राप्त है।

सूचिका सह पीड़िता मामला संधि कर लेने की बात कही और जमानत आवेदन का विरोध नहीं करती है।

उपरोक्त तर्को, तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्तगण पर दुष्कर्म करने का आरोप नहीं होने, जाति सूचक गाली गलौज करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, मामले के मुख्य अभियुक्त विकाश कुमार का जमानत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्वीकार होने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त तीनों आवेदक अभियुक्तों को मो0 10,000/ के बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/

विशेष न्यायाधीश,सीवान।